

FORM NO. III


जर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत -उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर
गोपालराम पुत्र रूगाराम जाति जाट वगै. बनाम
सा. गुलजारनगर टोडास तह. कुचामन सिटी

बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान
रूगाराम पुत्र बिरमाराम जाति जाट वगै.
सा. गुलजारनगर टोडास तह. कुचामन सिटी

किस्म कुमदमां : 212 आरटीए

मुकदमां नम्बर 0219/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुआ
18.10.2022	<p>प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरिराम गुर्जर ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण के जवाब पेश करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम लोरा का बास के खसरा नम्बर 292 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 1.98 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालत इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 16.11.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Gm (ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p>16/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 6/12/22 को पेश हो।</p> <p>6/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 22/12/22 को पेश हो।</p> <p>22/12/22 अधिवक्ता प्रवीण उपरा अग्रणी संख्या 3 की ओर से मूल वाद में वकालतनामा पेश हो चुका है पत्रावली वाति वकालतनामा व जवाब दि 4/1/23 को पेश हो।</p> <p>4/1/23 पत्रावली पेश बार एसोसियेशन म कन्वोलेंस कर कार्य स्थगन का निवदन दिनांक/पत्रावली दिनांक दिनांक 17/1/23 को पेश हो।</p>	

17/11/23

उत्तरपक्ष उषा बकाया की तलबी पेडा करने
के लिए रिहायत की गयी मिक्रो 3/2/23 को
पेडा हो

9/2/23

पत्रावली पेश हुई। बनील बाट अध्याय
के द्वारा आज [] का दायगा रखा
है। पत्रावली दिनांक 9/2/23
को पेश हो।

SS

9/3/23

पत्रावली पेश हुई। बनील बाट अध्याय
के द्वारा आज [] का दायगा रखा
है। पत्रावली दिनांक 6/6/23
को पेश हो।

SS

28/3/23

पत्रावली अधिवक्ता प्राचीन द्वारा प्रा. पत्र
प्रस्तुत करने पर आज पेडा हुई अधिवक्ता
प्राचीन ने प्रा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया
कि उक्त पत्रावली में पत्रावली के आपसी
समझौते से राजीनामा कर लिया है इसलिए
उक्त पत्रावली अर्थात् विज्ञापित खालि किया
जावे।
अतः प्राचीन के अधिवक्ता के निवेदन
पर प्राचीन का प्रा. पत्र अर्थात् विज्ञापित
खालि किया जाता है। पत्रावली के मूल
शुमार होकर नम्बर से कम हो व खालि
हो

उपखण्ड अधिकारी
नावा (नागौर)